राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-III जयपुर दिनांक 23 MAY 2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा निर्मित भवनों के भवन विनियमों के प्रावधानानुसार कम्पलीशन तथा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स को अधिकृत किया गया है। आदेश जारी किये जाने के पश्चात निम्न कठिनाईया संज्ञान में लायी गयी है :–

1. अनेक निकायों द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन प्राप्त करना बन्द कर दिया गया है।

   इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2017 एवं पत्र दिनांक 01.05.2017 में दी गयी प्रक्रिया कम्पलीशन व अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की वैकल्पिक व्यवस्था है। यदि भवन निर्माता चाहे तो भवन विनियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार संबंधित निकाय से भी कम्पलीशन व अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

2. यह भी संज्ञान में लाया गया है कि भवन निर्माता द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट हेतु भवन विनियमों में निर्धारित दर से निकाय में जमा करायी जाने वाली राशि एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स को दी जा रही है एवं उनके द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट उक्त राशि ली जाकर जारी किये जा रहे है।

   इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कम्पलीशन सर्टिफिकेट हेतु भवन विनियमों में निर्धारित राशि संबंधित विकासकर्ता द्वारा नगरीय निकाय में जमा करानी होगी एवं एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व जमा करायी गयी राशि की रसीद विकासकर्ता से प्राप्त करनी होगी तथा कम्पलीशन सर्टिफिकेट की प्रति के साथ उक्त रसीद की प्रति संबंधित नगरीय निकाय में प्रेषित करनी होगी। कम्पलीशन सर्टिफिकेट के पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित निकाय में पुनः कोई राशि जमा नहीं करायी जायेगी। एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा सीधे ही नियमानुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। विकासकर्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स को देय फीस अपने स्तर पर निर्धारित कर दी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/5/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. एम्पैनल्ड कन्सलटेन्ट, समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक